मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

59 "सी" विंग, द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्रमांक / 5674 / NR-4/11 भोपाल, दिनांक 03/06/11

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
जिलाः– समस्त (म.प्र.)

विषयः– प्रशासनिक व्यय सीमा 2010–11 के अनुशासन का उल्लघन होने बाबत्।

--0--

विषयान्तर्गत परिषद् मुख्यालय से वित्त वर्ष 2010–11 में प्रशासनिक व्यय सीमा की बजटीय प्रक्रिया अपनाते हुये आपके जिले के लिये प्रशासनिक व्यय की सीमा निर्धारित की गई थी। परन्तु कतिप्य जिलों से प्राप्त जानकारी के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि बिना विहित प्रक्रिया के वित्त वर्ष 2010–11 में प्रशासनिक व्यय सीमा का उल्लंघन कतिप्य जिलों ने किया है। इस संबंध में पृथक से कार्यवाही जारी है।

प्रशासनिक व्यय के संबंध में निरंतर ही पूर्व में निर्देशों का प्रसारण एवं बजटीय प्रक्रिया के पालन हेतु निर्देशन किया गया है, इससे आप भलीभांति अवगत भी है। इसी परिप्रेक्ष्य में पुनः निर्देशित किया जाता है कि प्रशासनिक व्यय की विहित प्रक्रिया के पालन करने के साथ–साथ निर्धारित प्रशासनिक व्यय सीमाओं का उल्लंघन न किया जाये ताकि भविष्य मे होने वाली अप्रिय स्थितियों से बचा जा सके। राज्य सरकार इस प्रकार के उल्लंघन को उत्यन्त गंभीरता से लेगी तथा आवश्यकतानुसार जिम्मेदारी निर्धारण की जावेगी।

3/5/11

(शिव शेखर शुक्ला)
आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय, भोपाल

पृ.क्रमांक / 5675 / NR-4/11 भोपाल, दिनांक 03/06/11

प्रतिलिपि–

1. कलेक्टर / जिला कार्यक्रय समन्वयक जिला समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3/5/11

आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय, भोपाल